

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 3/2019 - सीमा शुल्क (सीवीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर, 2019

सा.का.नि..... (अ) . जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “एट्राजीन टेक्निकल” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3808 91 99, 3808 93 90 या 3808 99 90 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 6/19/2018-डीजीएडी, दिनांक 22 अगस्त, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि -

- (i) प्रश्नगत उत्पाद भारत को चीन जनवादी गणराज्य से सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण यहां यह उत्पाद सस्ता हो गया ।
- (ii) विषयगत देशों से आयातित इस प्रश्नगत उत्पाद के सस्ते होने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।
- (iii) यह सारवान क्षति विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के सस्ते आयात के कारण हुई है ।

और उस पर निश्चयात्मक ‘काउंटरवेलिंग ड्यूटी’ लगाए जाने की सिफारिश की है, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके ।

अतः, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, आंकलन, और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) के तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक/उप शीर्षक	वस्तु का विवरण*	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि, सीआईएफ मूल्य के % के रूप में
---------	------------------	-----------------	----------------------	--------------	---------	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	38089199, 38089390 या 38089990	एट्राजीन टेक्निकल	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी देश, चीन जनवादी गणराज्य समेत	कोई भी	9.52
2.	38089199, 38089390 या 38089990	एट्राजीन टेक्निकल	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	9.52

*इस उत्पाद को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है: -

- 6-क्लोरो-एन-इथाईल-एन'- (1-मेथाईलइथाईल₁) -ट्रियाजाईन-2, 4-डायामाईन;
2-क्लोरो-4-इथाईलअमीनो-6-आईसोप्रोपिलामाईन-एस- ट्रियाजाईन;
2-क्लोरो-4- (इथाईलअमीनो) -6- (आईसोप्रोपाईलअमीनो) -एस-ट्रियाजाईन;
2- क्लोरो-4- (इथाईलअमीनो) -6- (आईसोप्रोपाईलअमीनो) -ट्रियाजाईन;
क्लोरो-4- (प्रोपाईलअमीनो) -6-इथाईलअमीनो-एस-ट्रियाजाईन;
क्लोरो-4- (प्रोपाईलअमीनो) -6-इथाईलअमीनो-एस-ट्रियाजाईन, आदि ।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई काउंटरवेलिंग ड्यूटी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(फाइल संख्या 354/137/2019-टीआरयू(

)रूचि बिष्ट()
अवर सचिव, भारत सरकार